# भारत में प्राचीन स्मारकों पर संकट एवं संरक्षण

### Dr. Shiv Charan Chaidwal\*

Assistant Professor, Department in History, Babu Shobha Ram Government Arts College, Alwar, Rajasthan-301001

सारांश:- भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्रोतों के रूप में उपलब्ध हैं, कुछ स्रोत काफी विश्वसनीय और वैज्ञानिक हैं, अन्य विश्वासों पर आधारित हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोतों में स्मारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत के इतिहास में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इतिहास के स्रोतों में स्मारकों के महत्व को अलग से मान्यता नहीं दी गई है। हमारे पास प्राचीन भारत की पुरातात्विक जानकारी प्राप्त करने के पर्याप्त साधन हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। बाद के समय में हमारे कई साहित्यिक सामग्रियों को स्मारक इमारतों, मंदिरों और गुफाओं जैसे आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन यहां तक कि उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री भी कम नहीं है, जो हमारे प्राचीन इतिहास की भावना दे सकती है। मूर्तिकला, चित्रकला, भवन-निर्माण और अन्य ललित कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण आज भी हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में उनके भाग्य में जानकारी प्रदान करते हैं।

शब्द कुँजी:-

- ♦ भारतीय स्मारकों पर संकट
- ♦ अधिनियम का विश्लेषण
- अधिनियम का विश्लेषण

#### परिचय:

भारतीय इतिहास की बहुत सारी सामग्री स्मारकों से प्राप्त होती है कि उस अथाह सामग्री-महासागर में अनुमानों, प्रतिवादों और अतिरंजनाओं की कमी नहीं है। कोई भी उन्हें इतिहास की नींव और इतिहास को जानने का माध्यम बनाकर जीवन भर खोज सकता है। प्राचीन काल के कुछ काव्यात्मक, लेकिन वास्तविक रूप से, लिखित सामग्री को अथाह सिंधु और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ पूरा किया जा सकता है। समुद्र में हर जगह पर रत्न शामिल नहीं हैं, और सभी गहने मूल्यवान नहीं हैं। उसी तरह, प्राचीन इतिहास प्राचीन भारतीय स्मारकों में निहित है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियाँ भी कम नहीं हैं, ताकि हमारे प्राचीन इतिहास को समझा जा सके। स्मारकों, चित्रकला, भवन निर्माण और अन्य लितत कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण

स्मारकों में सांस्कृतिक विरासत के रूप में पाए जाते हैं। आज भी, प्राचीन स्मारक सभ्यता और संस्कृति को संजोते हैं।

"स्मारक का पुरातात्विक अध्ययन की शाखा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिसमें हम अतीत की सामग्री (जैसे पुरातात्विक अवशेष, मंदिर, मूर्तियों, मुद्राएँ, स्तंभ, आदि) का अध्ययन करके इतिहास, प्रमाणीकरण और पुनर्निर्माण करते हैं।"





## उद्देश्य:

- भारत के प्राचीन स्मारकों के संकट का अध्ययन करना।
- 2. वर्तमान में स्मारक संरक्षण का विश्लेषण करना।

### परिकल्पना:

- वर्तमान समय में स्मारकों को महत्व दिया जा रहा है।
- प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के स्रोत स्मारक हैं।

# अध्ययन विधि और सूचना संग्रह:

प्रस्तुत विश्लेषण के लिए आधुनिक विश्लेषण अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस अध्ययन के लिए इतिहास के तथ्यों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा का उपयोग किया गया है। इस जानकारी का संग्रह पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और संचार के विभिन्न माध्यमों में प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली और प्स्तकों के माध्यम से किया गया है।

### भारतीय स्मारकों पर संकट:

हमारी विरासत हमारी पहचान है। हम अपने ऐतिहासिक भवनों को अपने पूर्वजों की विरासत को दर्शाते हैं। हमें देश और हमारी विरासत की स्थितियों के बारे में तभी जानकारी मिलती है, लेकिन भारत की स्मारकीय विरासत से संबंधित प्रावधानों में क्छ बदलाव देखे जा रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार प्राचीन स्मारकों और प्रातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास मौजूदा स्रक्षा घेरा हटा दिया जाएगा। यह स्रक्षा नेट क्यों महत्वपूर्ण है और इसे हटाने का प्रस्ताव शर्मनाक क्यों माना जाता है? यह ताजमहल से ममल्लाप्रम तक देश के संरक्षित स्मारकों की स्रक्षा के लिए उनके चारों ओर निर्मित 100 मीटर के दायरे का एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां किसी भी नई निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यह बाघ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र के समान है, जहां बाघों के निवास को सामान्य क्षेत्र से अलग किया जाता है, ताकि मानव हस्तक्षेप न हो। देश में 3,650 ऐसे स्मारक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया गया है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अन्सार, लगभग 5,00 000 ऐसे स्मारक हैं, जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया है और वर्तमान में विनाश के खतरे का सामना कर रहे हैं।



# स्मारकों की स्रक्षा के प्रयास:

कैग की 2013 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1,655 स्मारकों में से 546 पर अतिक्रमण किया गया था। 2010 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुलासा किया कि इसके सदस्यों को 2,500 से अधिक स्मारकों का दौरा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे जर्जर हालत में हैं। भारत की रक्षाहीन विरासत को तभी संरक्षित किया जा सकता है जब उनके लिए उपयुक्त नियम बनाए जाएं। हालांकि कई कानूनी प्रावधान हैं जो स्मारकों के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकते हैं। यह विचार है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा विरासत भवनों के चारों ओर एक सुरक्षा जाल का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने वर्ष 1955 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से शिकायत की कि भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों के आसपास नई इमारतों के निर्माण के कारण इन इमारतों को नुकसान हो रहा है।



नेहरू ने सुझाव दिया कि नियमों को बनाया जाना चाहिए जिसके तहत एक निश्चित क्षेत्र में निर्माण कार्यों की अनुमित के बिना अनुमित नहीं दी जाएगी। उनके दृष्टिकोण का एक उदाहरण निजामुद्दीन में अब्दुर रहीम खानखाना की कब्र के चारों ओर बना सुरक्षा जाल है। उनके इस विचार को वर्ष 1959 के प्राचीन जीम स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के नियमों में रखा गया था और इस प्रकार पहली बार संरक्षित स्थलों और स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित और नियामक क्षेत्रों के निर्माण का महत्व बताया गया था। इन नियमों के आलोक में, 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी सभी अनुमितयों को निरस्त कर दिया था, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति के माध्यम से अवैध रूप से दी गई थीं।






इसके बाद, वर्ष 2010 में, भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसने संसद में एक नए विधेयक की सिफारिश की। "प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधता) अधिनियम" नामक बिल को सर्वसम्मित से मार्च 2010 में पारित किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जैसे ही यह विधेयक कानून बन जाता है, स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित और नियामक क्षेत्र बन गया है अधिनियम के दायरे में लाया गया। अब सरकार राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास 100 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र को हटाने पर विचार कर रही है, जो बहुत चिंताजनक है।

# अधिनियम का विश्लेषण:

यह चिंता का विषय है कि सरकार के लिए विकास के अर्थ में, पर्यावरण और विरासत की सुरक्षा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। वैसे भी, भारत पर्यावरण सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत मजबूत नहीं है। वर्तमान केंद्र सरकार ने उद्योगों को राष्ट्रीय उद्यानों के करीब रखने की अनुमति देकर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मानकों को और भी कमजोर कर दिया है। 'पर्यावरण प्रभाव आकलन संसाधन और प्रतिक्रिया केंद्र' ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक समिति पर आरोप लगाया है कि उसने उन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो पिछली समितियों को अस्वीकार किए गए साइट निरीक्षण और परियोजनाओं से नहीं गुजरती थीं। कर चुका था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामलों में निहित तत्वों ने विरासत की रक्षा की आड़ में स्वार्थी रूप से काम किया है। पर्यावरण के मुद्दों के साथ भी यही हुआ है।





दरअसल, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के नाम पर शोर मचाकर इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों की पहचान की जा सकती है। यह संशोधन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को भी कमजोर करेगा, जो स्मारकों के चारों ओर 200 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए सरकार के अन्रोध की समीक्षा करता है। ये देश में संरक्षण के क्षेत्र के लिए श्भ संकेत नहीं हैं।

### निष्कर्ष:

स्मारक सीधे उस अवधि से संबंधित होते हैं जब उनका निर्माण किया गया था। परिणामस्वरूप, वे न केवल उस समय के भारत की एक राजनीतिक, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व्याख्या करते हैं, लेकिन स्मारक भी उस अवधि के बारे में जानकारी देते हैं। यही कारण है कि वे अधिक सटीक हैं। भारत के स्मारक हमारी सभ्यता की विरासत का एक अपूरणीय संग्रह हैं। हमारी विरासत में हमारा गौरव बढ़ रहा है, जबकि विरासत की देखभाल में कमी आ रही है। निश्चित रूप से आजादी के 71 वर्षों के बाद भी, भारत की प्रातात्विक धरोहर हमारी प्राकृतिक विरासत की तरह ही विविध और कीमती है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।



# संदर्भ सूची:

- डॉ .ए. सी. अरोड़ा, प्राचीन भारतीय इतिहास, पृष्ट 1. सँख्या 32, 36
- डॉ. विमचंद्र पांडे, प्राचीन भारत का राजनीतिक और 2. सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ संख्या 18
- प्रतियोगिता साहित्य दरपन, भारतीय इतिहास, 3. प्रकाशित अंक दिसंबर 2017, पृष्ठ संख्या 10
- डॉ.ए.एस. पांडे, द प्राचीन भारतीय इतिहास, पृष्ठ सँख्या २५, २ २७
- द्विजेंद्र नारायण झा, प्राचीन भारतः सामाजिक 5. आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की एक जांच, दिल्ली, कला पुस्तक, 2000।
- 7. आध्निक भारत के इतिहास के स्रोत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

### **Corresponding Author**

#### Dr. Shiv Charan Chaidwal\*

Assistant Professor, Department in History, Babu Shobha Ram Government Arts College, Alwar, Rajasthan-301001